

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-30012021-224793
SG-DL-E-30012021-224793

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2021/ माघ 8, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 292
No. 32]	DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2021/MAGHA 8, 1942	[N. C. T. D. No. 292

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं अन्य जीव विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 22 जनवरी, 2021

फा.सं. 134 / डब्ल्यू.एफ.डी / स.ओ.टी. / 19-20 / 8531-39.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, ग्राम टिकरी खुर्द, दिल्ली में थोक फल और सब्जी बाजार के निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 28.57 हेक्टेयर (285789.00 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से छूट प्रदान करती है।

स्थान	वृक्षों की संख्या			उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
	काटे जाने वाले	प्रत्यारोपण हेतु	योग (प्रत्यारोपण/ काटे जाने वाले)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
ग्राम टिकरी खुर्द, दिल्ली में थोक फल और सब्जी बाजार के निर्माण हेतु ।	39	96	135	1350
योग	39	96	135	1350

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

1. दिल्ली कृषि और विपणन बोर्ड जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 76,95,000/- रुपये (छिहत्तर लाख पंचानवे हजार मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	उपभोगी संस्था द्वारा 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण (135 वृक्षों को काटने/ प्रत्यारोपण किए जाने वाले वृक्षों का दस गुना) अर्थात् 1350 पौधों का प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, देशी कीकर, अर्जुन एवं अन्य देशी प्रजातियाँ का प्रस्तावित स्थल अर्थात् ग्राम टिकरी खुर्द में किया जाएगा।	1350	76,95,000 /-	उप-वन संरक्षक (पश्चिम)/ वन अधिकारी
(ख)	उपभोगी संस्था द्वारा 96 वृक्षों का प्रत्यारोपण उपर्युक्तानुसार (क) स्थान पर किया जाएगा।			

2. उपरोक्त 1 (क) और (ख) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 1350 पौधों का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षों तक रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा। इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी।
3. 135 वृक्षों को काटे/ प्रत्यारोपण जाने के बदले में 1:10 के अनुपात में स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँचाई वाले 1350 पौधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा। वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा और उसका रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा अपने स्वयं की लागत पर किया जाएगा।
4. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
5. जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिया आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यों के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।
6. अनुमति जारी होने के तुरंत बाद वृक्षों का प्रत्यारोपण उपभोगी संस्था द्वारा शुरू किया जाएगा और इसे छः महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा। प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट संबंधित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्यारोपण स्थल में प्रत्यारोपित वृक्षों की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए।
7. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जायेगा।
8. वृक्षों को काटने/ प्रत्यारोपण के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षों और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है।
9. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को काटने/ प्रत्यारोपण का कार्य सभी वैधानिक मंजूरीयों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा।
10. उपभोगी संस्था द्वारा प्रस्तावित 135 वृक्षों के अलावा किसी भी वृक्ष की कटाई / प्रत्यारोपण दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत एक अपराध होगा।
11. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को काटने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते में राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।
12. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाएगी और इसकी सूचना वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) को दी जाएगी।
13. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को काटने के स्थल से लकड़ियों को ले जाने से पूर्व वृक्ष अधिकारी (पश्चिम) से दुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

14. उपभोगी संस्था के द्वारा पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd January, 2021

F. No. 134/WFD/COT/19-20/ 8531-39.— In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 28.57 ha. (285789.18 Sq. Mtr.) as detailed below for construction of Wholesale Fruit and Vegetable Market at Village Tikri Khurd, Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location	Number of trees to be			Compensatory Plantation by User Agency (Number of trees)
	Felled	Transplanted	Total no. of trees (to be removed)	
(1)	(2)		(3)	(4)
Construction of Wholesale Fruit and Vegetable Market at Village Tikri Khurd, Delhi	39	96	135	1350
Total	39	96	135	1350

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

1. Delhi Agriculture and Marketing Board (DAMB), herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs. 76,95,000 /- (Rupees Seventy Six Lakh Ninety Five Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

S.No.	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	100% Compensatory Plantation ten times the number of trees permitted for felling/ transplanting of 135 trees i.e number of tree saplings proposed to be planted of species Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad, Desi Kikkar and Arjun along with other native species shall be carried out by User Agency at proposed site i.e Village Tikri Khurd.	1350	76,95,000 /-	Deputy Conservator of Forests (West)/ Tree Officer
(b)	Transplantation of 96 no. of trees which are standing on site shall be done by User Agency in the location as mentioned above.			

2. 100% Compensatory Plantation of 1350 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency (DAMB) for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) & (b) above.
3. Plants of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of removal/ transplantation of 135 no. of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance shall be carried out there after by User Agency with their own funds.
4. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
5. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of State Government.
6. Transplantation of trees shall be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than six months, after which a completion report has to be submitted to the concerned Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.
7. All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.
8. Permission for felling/ transplantation of all trees is being granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.
9. Before the felling/ transplantation of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.
10. Felling/ transplantation of any tree apart from 135 trees by User Agency shall constitute an offence under Delhi Preservation of Trees Act, 1994.
11. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.
12. The lops and tops of the trees shall be sent/ supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (West) by User Agency.
13. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (West) by User Agency.
14. It should be ensured by the user agency that all the conditions mentioned in environmental clearance, if any obtained, shall be followed scrupulously.

By Order and in the Name of the
Government of National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Env. & Forests)